मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

क्रमांक एफ 2–87/2016/26–2 : मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के मापदण्डों एवं दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है –

1. म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–87/2010/26–2, दिनांक 25–06–2013 से जारी किये गये निर्देशों की कंडिका–7 के अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के समस्त वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं निःशक्त हितग्राहियों को रू0 150/– प्रतिमाह की दर से दी जाने वाली पेंशन दरों को पुनरीक्षित करते हुये रू0 300/– प्रतिमाह की जाती है। यह पुनरीक्षित दर माह सितम्बर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक लाभ हितग्राही को माह अक्टूबर 2016 से प्राप्त होगा।

2. म0प्र0शासन, सामाजिक न्याय विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–87/2010/26–2, दिनांक 25.06.2013 में दिये गये पात्रता के मापदण्ड में कंडिका क्रमांक 1.1 से 1.3 तक यथावत् रखते हुये निम्नांकित कंडिकाएं जोड़ी जाती है :–

1.4 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष आयु के दिव्यांग जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करते हैं को दी जाने वाली पेंशन अब " **दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि**" के नाम से दी जावेगी।

1.5 18 से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है। (अर्थात 18 से 59 वर्ष आयु के 40% से अधिक किन्तु 80% से कम निःशक्तता धारण करने वाले निःशक्तजन जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है।)

1.6 वृद्धाश्रम में निवासरत् समस्त अंतःवासी, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।

3. विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में निवासरत् अंतःवासियों को पेंशन की राशि उसी नगरीय/ग्रामीण निकाय द्वारा स्वीकृत की जाएगी जिसकी सीमा के भीतर वृद्धाश्रम संचालित हैं और वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हों। वृद्धाश्रमों में निवासरत् अंतःवासियों का पंजीयन संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा किये जाने के उपरांत ही संबंधित निकायों द्वारा पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी तथा तद्उपरांत सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन भुगतान की कार्यवाही प्रचलित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आदेश/परिपत्र क्रमांक एफ 2–87/2010/26–2, दिनांक 25.06.2013 में अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

27/9/16

(वीरेन्द्र कुमार बाथम)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 2–87 / 2016 / 26–2 भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, भोपाल
3. विशेष सहायक / निज सचिव / निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
4. संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन
5. संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
7. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
9. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
11. आयुक्त, समस्त नगर निगम, मध्यप्रदेश
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
13. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
15. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

27/9/16

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग